



महोदय,

निकेदन है कि प्रग-कवशाधिया के खाना सं० 16 में प्रार्थी का नाम रामसुखी कुंजी रामप्यारी दर्ज है, जबकि प्रार्थी का आधार कार्ड, वेंकू खाना टायरी में प्रार्थी का सही नाम रामप्यारी दर्ज होने से खाना सं० 16 में रामसुखी के बजाय रामप्यारी दर्ज किया जाना उचित है।


गुलर आलम
14-10-2021


पटवारी


रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पं० एच एच 11R के अनुसार सुध किया जाता उचित है।


तहसीलदार (पु.अ.) भाण्डल
जिला-भीलवाड़ा

::आदेश::

तहसीलदार भाण्डल की रिपोर्ट के अनुसार खाना संख्या 161 में रामसुखी के बजाय रामप्यारी किये जाने का आदेश दिया जाता है।


पीछोसिल अधिकारी
उदयपुर अधिकारी एवं
प्रसारक सहायक कर्मचारी
2021